

प.क्षे.-II/ लोक सूचना/2022/087/

दिनांक : 20/09/2022

सेवा में,  
श्री विनोद कुमार नापित  
सीट नं.-184, स्वर्ण जयंती भवन,  
उच्च न्यायालय, जबलपुर – 482001, मध्य प्रदेश.


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,  
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र PGCIL/WRTS-II/2022/087, पावरग्रिड कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 09/09/2022 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है।

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी,  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2  
प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,  
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

  
(आर. के. गुप्ता)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा


संलग्न : यथोपारि

**प्रतिलिपि: -**

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे.-II), वडोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.- II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.- II

This has reference to the RTI no. PGCIL/WRTS-II/2022/087 received on dated 09/09/2022 from Shri Vinod Kumar Napit regarding Compensation details pertaining to Survey No. 40/3 & 41/3 of Sh. Ramavtar Patel, Vil.-Moharba, Teh.-Ramnagar, Satna – pointwise concise reply is as follows;

आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
<p>1. श्री रामावतार पटेल पिता श्री भैयालाल पटेल निवासी ग्राम मोहरबा, तहसील रामनगर, जिला सतना के खेत खसरा नं.-40/3 और 41/3 से लाइन ग्राम सिकरवार से सतना तक निकाली गयी थी। उक्त लाइन के निर्माण के दौरान सागौत के 200 पेड़ तथा आंवला के 100 पेड़ों की क्षति हुई थी।</p> <p>श्री रामावतार पटेल को वृक्षों की क्षतिपूर्ति हेतु बनाए गए कुल मुआवजा राशि का विवरण तथा उक्त मुआवजा राशि को भुगतान करने संबंधी बिल, चेक तथा वाउचर की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि प्रदान करें।</p>	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र में श्री रामावतार पटेल की मुआवजा राशि के संबंध में मांगी गयी जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी है और साथ-साथ यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी भी है जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है। अतः आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत मांगी गयी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।</p>
<p>2. उक्त लाइन के कार्य पूर्ण होने का दिनांक, माह तथा वर्ष की जानकारी प्रदान करें।</p>	<p>765 के.वी. सासन – सतना # 1 ट्रांसमिशन लाइन दिनांक 01/01/2013 से सुचारु रूप से कार्यरत है।</p> <p>765 के.वी. सासन – सतना # 2 ट्रांसमिशन लाइन दिनांक 01/05/2013 से सुचारु रूप से कार्यरत है।</p>

  
 (आर. के. गुप्ता)  
 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
 पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा





प्रेषक :-

विनाय कुमार शर्मा एस.

सीट नं. 184 एच/1 एच/1

गवर्नर जन्य ज्योत्सना प्रकाश

(आ.प्र.) 482001

सो.नं. 9424744150, 9131544305

प्राप्त

श्रीमान ज्योत्सना शर्मा

पॉस्ट रिड कौशिकी

ग्राम जालपुर पोस्ट शिवपुरी जिला मध्या

(आ.प्र.) 485114

R17080332201N



R